

जिला बाल संरक्षण इकाई

मॉड्यूल
2



विषय-सूची

संक्षिप्ताक्षर	3
जिला बाल संरक्षण इकाई	5
सत्र 1: जिला बाल संरक्षण इकाई का परिचय और इसकी रूपरेखा	6
सत्र 2: जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व	19
सत्र 3: मुद्दे और चुनौतियां	25
अभ्यास: समूहों के केस स्टडी के माध्यम से सीखों को दोहराना	29

संक्षिप्ताक्षर

बी.बी.बी.पी	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
बी.डी.ओ.	ब्लॉक विकास अधिकारी
बी.एल.सी.पी.सी.	ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति
सी.सी.आई.	बच्चों की देखरेख के संस्थान
सी.सी.एल.	कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
सी.डी.पी.ओ.	बाल विकास परियोजना अधिकारी
सी.एम.ओ.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सी.एन.सी.पी.	देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे
सी.पी.सी.	बाल संरक्षण समिति
सी.डब्ल्यू.सी.	बाल कल्याण समिति
डी.सी.पी.सी.	जिला बाल संरक्षण समिति
डी.सी.पी.एस.	जिला बाल संरक्षण सोसाइटी
डी.सी.पी.ओ.	जिला बाल संरक्षण अधिकारी
डी.सी.पी.यू.	जिला बाल संरक्षण इकाई
डी.आई.ई.टी.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
डी.एम.	जिला मजिस्ट्रेट
आई.सी.डी.एस.	समेकित बाल विकास योजना
आई.सी.पी.एस.	समेकित बाल संरक्षण योजना
जे.जे.ए.	किशोर न्याय अधिनियम
जे.जे.बी.	किशोर न्याय बोर्ड
एल.पी.ओ.	कानून और परिवीक्षा अधिकारी
एन.सी.पी.सी.आर.	बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कमीशन
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संस्था
एन.आई.ओ.एच.	नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैन्डिकैप्ड
पी.ए.पी.	दत्तक—ग्रहण के संभावित माता—पिता
पी.ओ.सी.एस.ओ.	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
एस.ए.ए.	विशेषीकृत दत्तक—ग्रहण एजेंसी
एस.ए.आर.ए.	राज्य दत्तक—ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
एस.सी.ई.आर.टी.	राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
एस.सी.पी.एस.	राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी
एस.सी.पी.यू.	राज्य बाल संरक्षण इकाई
एस.एफ.सी.ए.सी.	प्रायोजकता तथा पालक देखरेख अनुमोदन कमेटी
एस.जे.पी.यू.	विशेष किशोर पुलिस इकाई
यू.एन.सी.आर.सी.	बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
वी.एल.सी.पी.सी.	ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति



जिला बाल संरक्षण इकाई

एक दृष्टि

जिला बाल संरक्षण इकाई की रचना और कार्य करने के लिए राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी जिम्मेदार है। यह प्रत्येक जिलों में बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए मौलिक इकाई है तथा यह जिला मजिस्ट्रेट या अध्यक्ष, जिला परिषद् की अध्यक्षता में कार्य करती है। इसको किशोर न्याय अधिनियम के सेक्शन 2 (26) में परिभाषित किया गया है। बाल संरक्षण इकाई का तात्पर्य जिले के लिए एक बाल संरक्षण इकाई से है जो राज्य सरकार द्वारा सेक्शन 106 के तहत स्थापित की गई है और जिले में इस अधिनियम के तथा बाल संरक्षण के क्रिया-कलापों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र बिन्दु है। जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत बाल संरक्षण समितियां हैं:

- ♦ ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति (BLCPC) जिसके अध्यक्ष ब्लॉक/वार्ड स्तरीय निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे और ब्लॉक विकास अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति ब्लॉक स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने और सुधारात्मक संस्तुति देने के लिए जिम्मेदार है।
- ♦ ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति (VLCPC): ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में यह समिति कार्य करेगी। यह गांव स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी और आवश्यकतानुसार संस्तुति करेगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई, जिले में किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) की क्रियान्वयन एजेंसी है। इस मॉड्यूल में, जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) की परिभाषा, रूपरेखा, क्रिया-कलाप तथा उन स्थितियों का वर्णन है जिनमें वह कार्य करती है। पाठक/प्रतिभागियों को इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि जिला बाल संरक्षण इकाई कार्य क्या हैं, इससे जुड़े हुए कौन से विभाग हैं, कौन से पदाधिकारी तथा वैधानिक निकाय है जिनके साथ जिला बाल संरक्षण इकाई का समन्वय रहता है तथा इसके पदाधिकारियों की क्या विशिष्ट भूमिकाएं व उत्तरदायित्व हैं।

इस भाग के अंत में कुछ अभ्यास तथा केस स्टडी दी गई हैं जिससे पाठक/प्रतिभागियों की पुनरावृत्ति हो जाएगी तथा साथी ही साथ फैसिलिटेटर के लिए टिप्पणी भी दी गई है।



उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अंत तक प्रतिभागी जान जाएंगे कि:

- ♦ जिला बाल संरक्षण इकाई की रूपरेखा क्या है।
- ♦ किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 के अंतर्गत जिला बाल सुरक्षा इकाई के कार्य क्या हैं।
- ♦ समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत इसके क्या कार्य हैं।
- ♦ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण नियम 2012 के तहत इसकी क्या जिम्मेदारियां/ उत्तरदायित्व हैं।
- ♦ इसके अधिकारियों कर्मचारियों की विशिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व क्या हैं।


जिला बाल संरक्षण इकाई का परिचय और इसकी रूपरेखा



समय
120 मिनट



चरण 1: प्रतिभागियों से जिला बाल संरक्षण इकाई की परिभाषा तथा इसकी रूपरेखा के बारे में पूछें।



रूपरेखा तथा कार्यकर्ता


समेकित बाल संरक्षण योजना तथा किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई एक मूल इकाई है। यह जिला स्तर पर हर प्रकार के बाल अधिकार और संरक्षण की गतिविधियों का क्रियान्वयन तथा समन्वयन के लिए उत्तरदायी है। जिला बाल संरक्षण इकाई संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता तथा पर्यवेक्षण में कार्य करती है जो कि जिला बाल संरक्षण समिति का भी सह-अध्यक्ष होता है। जिला बाल संरक्षण इकाई में जिला बाल परिवीक्षा अधिकारी नोडल व्यक्ति होता है। अन्य पदाधिकारियों में शामिल हैं – बाल संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख, बाल संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), कानून सह परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता और आउटरीच कार्यकर्ता।



गतिविधि: पहेली खेल

प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांट दें। नीचे दिए गए प्रवाह चार्ट छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर प्रत्येक समूह के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहें:

चित्र 1: जिला बाल संरक्षण इकाई की रूपरेखा



 चरण 2: प्रतिभागियों से पूछें कि जिला बाल संरक्षण इकाई के क्या कार्य हैं?



गतिविधि: समूह कार्य

प्रतिभागियों को चार समूहों में बांट दें और प्रत्येक समूह को एक विषय दें। उन्हें बताएं कि उस विषय से संबंधित, जिला बाल संरक्षण इकाई के क्या-क्या कार्य हैं। यह चर्चा करके हर समूह को चार्ट तैयार करके प्रस्तुत करना है। समूहों के प्रस्तुतीकरण के बाद नीचे दिए हुए बिन्दुओं के आधार पर चर्चा करें और जिला बाल संरक्षण इकाई के समस्त कार्यों का समाहार करें:

जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्य

- (क) किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के तहत उत्तरदायित्व

- (ख) समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत कार्य

- (ग) बच्चों की गैर संस्थागत देखरेख में जिला बाल संरक्षण इकाई की नोडल भूमिकाएं


- (घ) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
नियम 2020 (POCSO RULE 2020)
के तहत उत्तरदायित्व

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के तहत उत्तरदायित्व

जिला बाल संरक्षण इकाई के निम्नलिखित कार्य हैं:

रिपोर्टिंग और समीक्षा

1. बोर्ड के समक्ष कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के बारे में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा त्रैमासिक सूचना और बाल कल्याण समिति द्वारा दी गई त्रैमासिक रिपोर्टों का रखरखाव (Maintain) करना।
2. ऐसे बच्चों की वार्षिक समीक्षा करना जो सुरक्षा के स्थान (Place of Safety) में रखे गए हैं। बाल न्यायालय (Children's Court) को रिपोर्ट देना।
3. राज्य बाल संरक्षण समिति को मासिक रिपोर्ट देना।
4. किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति के रिक्त पदों की सूचना राज्य सरकार को पद रिक्त होने से छः माह पहले ही देना।
5. निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना और रिपोर्ट में आए मुद्दों को हितधारकों में समन्वय करके समाधान निकालना।



समन्वय और संपर्क

1. अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना तथा राज्य के संबंधित विभागों और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी व राज्य के अन्य जिला बाल संरक्षण इकाईयों से संपर्क बनाए रखना।
2. एक के तहत कार्य करने वाले स्वैच्छिक तथा नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organisation) के साथ तालमेल और समन्वय बनाए रखना।
3. जघन्य अपराधों के मामले में बोर्ड द्वारा आरंभिक आंकलन में सहायता देने के लिए, मनोवैज्ञानिकों का पैनल, मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञ जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव है, की उपलब्धता बोर्ड द्वारा सुनिश्चित करना।
4. जागरूकता उत्पन्न करना और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे अधिनियम का क्रियान्वयन हो सके, जिसमें इस अधिनियम से जुड़े हितधारकों का प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास भी शामिल है।
5. जिला स्तर पर प्रत्येक तीन माह में प्रगति की समीक्षा और किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए सभी हितधारकों के साथ बैठक करना।



डेटाबेस (DATABASE) का रखरखाव

1. ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करना जो अनुश्रवण प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं और प्रत्येक छः माह में इसे अद्यतन करके बाल न्यायालय (Children's Court) को भेजना।
2. बाल देखरेख संस्थानों से भागे हुए बच्चों का अभिलेख रखना।
3. गुमशुदा बच्चों, जिन्हें पाने के बाद संस्थानों में देखरेख के लिए रखा गया है, का जिला स्तरीय डेटाबेस तैयार करना और उसका रखरखाव करना तथा उसे खुले आवास एवं पालक देखरेख के लिए निर्धारित पोर्टल (Portal) पर अपलोड (Upload) करना।
4. बाल देखरेख संस्थानों, विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण एजेंसियों, खुले आवासों उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त सुविधाओं पंजीकृत पालक माता-पिता, पश्चात्वर्ती देखरेख संस्थाओं आदि का डेटाबेस तैयार रखना एवं उसे किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, बाल न्यायालयों तथा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को अग्रसारित करना (केस अनुसार)।
5. चिकित्सा और गैर परामर्श केन्द्रों, नशा मुक्ति केन्द्रों, अस्पतालों, मुफ्त विद्यालयों, शैक्षिक सुविधाओं, शागिर्दी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों व केन्द्रों, मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं जैसे कला प्रदर्शित करना, चित्रकारी एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सुविधाओं का जिला स्तर पर डेटाबेस का रखरखाव करना। उसे किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, बाल न्यायालय तथा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को अग्रसारित करना।
6. विशेष शिक्षकों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अनुवादकों, व्याख्याकारों, परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिक या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञ जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव है, का जिला स्तर पर डेटाबेस रखना और उसे किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, बाल न्यायालय तथा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को भेजना।




पहचान और आंकलन करना

1. जोखिम वाले परिवारों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को चिन्हित करना।
2. कठिन स्थितियों में रह रहे बच्चों की संख्या का आंकलन करना और जिला विशेष का डेटाबेस तैयार करना ताकि रूझान तथा तरीकों की निगरानी की जा सके।
3. जिला स्तर पर बच्चों से संबंधित सेवाओं का सामयिक और निरंतर मानचित्रण करना ताकि एक संसाधन मार्गदर्शिका बन सके तथा समय-समय पर, किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति को यह जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
4. गैर संस्थागत कार्यक्रमों, जिनमें प्रायोजकता, पालक देखरेख और पश्चात्वर्ती देखरेख भी शामिल है, को किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति या बाल न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
5. बच्चों की परिवारों में पुनः वापसी के लिए बच्चों का स्थानांतरण सहज बनाना।



अन्य प्रमुख जिम्मेदारियां

1. व्यक्तिगत या समूह परामर्श और बच्चों के लिए सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करना।
2. 16-18 वर्ष के कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे जिन्हें जघन्य अपराध करने का दोषी पाया गया है, बाल न्यायालय (Children's Court) के निर्देश पर बनाए गए उनके व्यक्तिगत देखरेख योजना (Individual Care Plan) का फॉलोअप करना।
3. बच्चों के देखरेख संस्थानों या अन्य संस्थानों में देखरेख के दौरान बच्चों की मृत्यु या आत्महत्या के मामलों की जांच करना, रिपोर्ट लेना और कार्यवाही करना तथा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
4. 'बच्चों की सलाह पेटी' (Children's Complaint Box) में मौजूद बच्चों की सलाह और शिकायतों को देखना और उपयुक्त कार्यवाही करना।
5. बाल देखरेख संस्थाओं की प्रबंध समितियों में प्रतिनिधित्व करना।
6. किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति को सचिवीय कर्मचारी (Secretarial Staff) मुहैया कराना।
7. जब किसी बच्चे को बाल कल्याण समिति के निर्देशन में किसी दूसरे जिले, राज्य या देश में भेजना या प्रत्यावर्तित करना हो, तब जिला बाल संरक्षण इकाई आवश्यकतानुसार जरूरी अनुमति जैसे विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय और विदेशी मंत्रालय से अनापत्ति (No Objection) प्रमाण पत्र लेना, अन्य जिला, राज्य या देश में जहां बच्चे को भेजना है, की समकक्ष समिति या स्वैच्छिक संस्था से संपर्क करना आदि।
8. जांच के दौरान अगर यह पाया जाता है कि बच्चा किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के कार्य क्षेत्र से बाहर का है, तब स्थानांतरण आदेश के आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चे के स्थानांतरण की सूचना उस किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति को देती है जिसका कार्य क्षेत्र वहां होता है जहां बच्चे के स्थानांतरण का आदेश हुआ है।
9. बच्चे की वापसी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई खर्चे प्रदान करती है, जिसमें भत्ता व्यय तथा अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं।
10. किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अन्य सभी कार्य करेगी, जिसमें बाल देखरेख संस्थानों के सुधार के लिए समुदाय तथा व्यावसायिक जगत से संपर्क साधना भी शामिल है।





चरण 3: समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई के क्या कार्य हैं

समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत कार्यों में शामिल हैं:

पहचानना

1. समेकित बाल विकास योजना के कार्यकर्ताओं, विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण एजेंसियों, गैर सरकारी संस्थाओं, जो बाल संरक्षण के मुद्दे पर कार्य कर रही हैं तथा स्थानीय निकायों जैसे पंचायती राज संस्थाएं और स्थानीय शहरी निकायों से प्रभावी तालमेल व संपर्कों के द्वारा जोखिम वाले परिवारों एवं देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को पहचानना।
2. समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों को चिन्हित करना और सहयोग देना।



क्रियान्वयन

1. बाल संरक्षण के कानूनों तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व राष्ट्रीय कार्य योजना में निर्धारित बाल संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देना। यह कार्य करने के दौरान जिला बाल संरक्षण इकाई राष्ट्रीय और राज्य की प्राथमिकताओं, नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।
2. प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिलों के समूहों में जैसी भी आवश्यकता हो, 'गृहों' की स्थापना करके पर्याप्त संरचनात्मक ढांचा तैयार करना जिससे किशोर न्याय अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
3. कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके कार्यों को पूरा करने के लिए जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गहन सुनिश्चित कराना।
4. हर स्तर पर बच्चों के स्थानांतरण को सुगम बनाना चाहे बच्चे वापिस परिवार में जा रहे हों, या थोड़े या अधिक समय के पुनर्वास के लिए, प्रायोजकता, नातेदारों की देखरेख, देश में दत्तक-ग्रहण, पालक देखरेख, अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण और संस्थानों में रखे जा रहे हों।

5. जिले में बाल संरक्षण से जुड़े अन्य कानूनों के अनुपालन को सुगम बनाना जैसे हिन्दू दत्तक-ग्रहण और रखरखाव अधिनियम (HAMA) 1956, गार्जियन्स एवं वार्ड्स एक्ट (GAWA) 1890, बाल श्रम (निषेध एवं नियामक) संशोधन अधिनियम 2016; बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और Immoral Traffic Prevention Act 1986] Conception and Prenatal Diagnostic Techniques (लिंग चयन निषेध) Act 1994, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012, बाल अधिकार संरक्षण कमीशन अधिनियम, 2005 आदि या कोई अधिनियम जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लागू होता है।

अनुश्रवण और अनुसरण (Monitoring and Supervision)

1. बाल संरक्षण तंत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना और उनकी क्षमता का विकास करना ताकि वे बच्चों को सही तरीके से सेवाएं दे सकें।
2. सभी हितधारकों के साथ जिला स्तर पर त्रैमासिक बैठक करना, जिसमें चाईल्ड लाईन, विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण एजेंसी, देखरेख गृहों के अधीक्षक, गैर सरकारी संस्थाओं और जनता के सदस्य शामिल हों, ताकि बाल संरक्षण गतिविधियों की प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा की जा सके।
3. राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और अन्य जिलों के साथ संपर्क (LIAISON) बनाए रखना।
4. जिला बाल संरक्षण समिति को सचिवीय (Secretarial) सहायता प्रदान करना।
5. जिला स्तर पर संस्थागत देखरेख तथा गैर संस्थागत देखरेख वाले सभी बच्चों का डेटाबेस तैयार करना। यह डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को अन्ततः एक व्यापक, समेकित तथा जीवन्त डेटाबेस- 'ट्रैक द चाईल्ड' पर अपलोड किया जाएगा, देश के उन बच्चों के लिए जो बच्चे देखरेख में हैं या जो देखरेख के जरूरतमंद बच्चे हैं।
6. बाल संरक्षण के मुद्दे पर अन्तर्विभागीय संबंध बनाने के लिए सरकारी विभागों के साथ, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, मूलभूत शहरी सेवाएं, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, युवा सेवाएं, पुलिस, न्याय तंत्र, श्रम, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और अन्य विभाग शामिल हों, के साथ समन्वय तथा नेटवर्किंग करना।
7. बाल अधिकार और संरक्षण के लिए कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संस्थानों के साथ तालमेल व समन्वय स्थापित करना।



समेकित बाल संरक्षण योजना, प्रायोजकता तथा पालक देखरेख के लिए धन एकत्रित करने का समर्थन करता है और वह धन जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशानुसार व्यय किया जाएगा। प्रत्येक जिले में प्रायोजकता तथा पालक देखरेख अनुमोदन कमेटी (SFCAC) होनी चाहिए, जो प्रायोजकता तथा पालक देखरेख के लिए (केवल निवारक, स्थितियों के लिए) वित्तीय अनुमोदन तथा समीक्षा करेगी। इस कमेटी की बैठक हर माह होगी और किसी भी मामले का निस्तारण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अंदर करेगी। इस कमेटी के गठन में निम्न शामिल हैं:

- क) जिला बाल संरक्षण अधिकारी – अध्यक्ष
- ख) संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) सदस्य
- ग) अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति – सदस्य
- घ) विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण एजेंसी का प्रतिनिधि – सदस्य
- ड.) बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्था का प्रतिनिधि-सदस्य

प्रायोजकता तथा पालक देखरेख अनुमोदन कमेटी के गठन के लिए संदर्भ के लिए बिहार¹ का नमूना देखा जा सकता है। SFCAC के लिए झारखण्ड² का मार्गदर्शन भी देखा जा सकता है।



चरण 4: बच्चों की गैर संस्थागत देखरेख में जिला बाल संरक्षण इकाई की प्रमुख (NODAL) भूमिका

प्रतिभागियों से पूछें कि गैर-संस्थागत देखरेख में जिला बाल संरक्षण इकाई की क्या भूमिका है? उत्तरों को ध्यान से सुनें तथा नीचे दी गई टिप्पणी के आधार पर विस्तृत चर्चा करें:

पालक देखरेख (FOSTER CARE)


- ♦ पालक देखरेख के लिए मॉडल निर्देश 2016 के अनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला प्रशासन, पालक देखरेख के क्रियान्वयन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करता है कि पालक परिवारों में बच्चे सुरक्षित हैं।
- ♦ जिले में पालक देखरेख के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई का नोडल प्राधिकार है।
- ♦ जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तैयार बच्चों के अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे बच्चे जो समुदाय में रह रहे हैं और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद हैं, उन्हें भी पालक देखरेख में रखने पर विचार किया जा सकता है।
- ♦ पालक परिवार में बच्चे को समिति द्वारा रखने से पहले जिला बाल संरक्षण इकाई को गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करके बाल कल्याण समिति को देनी चाहिए।
- ♦ पालक देखरेख के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।
- ♦ ऐसे परिवारों का चयन करना जो पालक की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं।
- ♦ पालक परिवारों की पता सहित सूची तैयार करना और उसका रखरखाव करना।
- ♦ संबंधित राज्य के विभाग द्वारा अनुमोदित मापदण्ड के आधार पर पालक परिवारों को चुनना तथा उनका क्षमतावर्द्धन करना।



¹ https://www.cpmis.org/data/Acts_Rules/Sponsorship_guideline_Bihar_2018.pdf

² http://alternativecareindia.org.in/downloads/Laws/Jharkhand_Sponsorship_Guideline.pdf

- ♦ जिला बाल संरक्षण इकाई को पालक परिवार (Foster Family) का चयन करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना चाहिए: (क) पति-पत्नी दोनों भारतीय नागरिक हों (ख) पति-पत्नी दोनों एक ही बच्चे का पालन करने के इच्छुक हों (ग) पति-पत्नी दोनों 35 वर्ष से अधिक उम्र के हों और उनका शारीरिक, भावनात्मक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो (घ) सामान्यतः पालक परिवार की आय इतनी हो कि वह बच्चे की जरूरतों को पूरा कर सकें (ङ) पालक परिवार के सभी सदस्यों, जो एक परिसर में रह रहे हैं उनकी चिकित्सीय जांच की रिपोर्ट ली जानी चाहिए। इन रिपोर्टों में शामिल हैं एच.आई.वी., टी.बी., हेपेटाइटिस बी आदि ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ हैं और (च) पालक परिवार के पास पर्याप्त स्थान तथा जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए।
- ♦ पालक परिवार के पास पर्याप्त स्थान तथा जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए।
- ♦ पालक देखरेख में रह रहे प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड रखना चाहिए।
- ♦ कम से कम दो भेंटों (Visits) के बाद संभावित पालक परिवार का गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना।
- ♦ पालक परिवार के माता-पिता तथा अन्य सदस्यों का साक्षात्कार करना।
- ♦ जिला बाल संरक्षण इकाई को समूह पालक देखभाल की व्यवस्था के लिए निम्न मानकों को ध्यान में रखना चाहिए: (क) अधिनियम के तहत समूह व्यवस्था का पंजीकरण (ख) समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा की मान्यता (ग) बाल संरक्षण नीति की मौजूदगी (घ) बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाएं और पर्याप्त स्थान।
- ♦ समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन मार्गदर्शिका में प्रस्तावित उपयुक्त प्रपत्र में प्रत्येक बच्चे का विस्तृत इतिहास का रिकॉर्ड रखना।
- ♦ परिवार और बच्चे को स्थानांतरण के लिए तैयार करने, इसके साथ ही साथ उनके साथ चल रही किसी समस्या के समाधान के लिए उन्हें परामर्श देना।
- ♦ पहले माह में, प्रत्येक परिवार में, आउटरीच कार्यकर्ता साप्ताहिक भ्रमण करेगा, उसके बाद मासिक भ्रमण करेगा और इसका लेखा-जोखा (Record) रखेगा।
- ♦ प्रत्येक बच्चे की पर्यवेक्षण रिपोर्ट हर तीन माह पर तैयार की जाएगी और इसे गोपनीय रखा जाएगा।
- ♦ कार्यक्रम का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना।
- ♦ एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित बच्चों का विपदा या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चों की पालक देखरेख या प्रायोजकता के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए।
- ♦ पालक देखरेख कार्यक्रम के लिए धनमुक्त करने की कार्य पद्धति।
- ♦ पालक देखरेख कार्यक्रम का संचालन किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 (संशोधित अधिनियम 2006) के प्रावधानों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित नियमों के आधार पर किया जाएगा।
- ♦ पालक देखरेख की धनराशि की मात्रा प्रति बच्चा 2000 रु. प्रतिमाह होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार समेकित बाल संरक्षण योजना के मैनुअल में किया शर्तें निर्धारित की गई हैं।



<https://cdn.s3waas.gov.in/s320f07591c6fcb220ffe637cda29bb3f6/uploads/2018/05/2018051693.pdf>



चरण 5: प्रायोजकता (Sponsorship)



- ♦ बाल संरक्षण इकाई को मॉडल रूल (24) के अनुसार प्रायोजकता कार्यक्रम क्रियान्वित करना चाहिए।
- ♦ तालिका (पैनल) का सृजन: बच्चों को स्पॉन्सर करने में रूचि रखने वाले व्यक्तियों, परिवारों या संस्थानों की तालिका (पैनल) बनाना और किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति या बाल न्यायालय को अग्रसारित करना।
- ♦ मामले के अनुसार या उस संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति या बाल न्यायालय बच्चे को प्रायोजकता के अंतर्गत रखने पर विचार कर सकता है। इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तैयार तालिका से यह सुनिश्चित कर सकता है कि क्या इस बच्चे को मदद देने के लिए कोई स्पॉन्सर उपलब्ध है और तब मॉडल रूल के फार्म 36 में प्रायोजकता में रखने का आदेश पारित करता है।
- ♦ व्यक्तिगत प्रायोजकता के मामले में, स्पॉन्सर को बच्चे के नाम से खाता खोलना होगा, जिसका संचालन सामान्यतः मां द्वारा किया जाना चाहिए। बच्चे के खाते में सीधे जिला बाल संरक्षण इकाई के खाते से धन स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

प्रायोजकता कार्यक्रम के तहत धन की स्वीकृति और अवमुक्ति की प्रक्रिया

- ♦ प्रायोजकता की धनराशि की मात्रा प्रति बच्चा 2000 रु. प्रतिमाह होगी और यह इस बात पर निर्भर करेगी कि महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार समेकित बाल संरक्षण योजना के मैनुअल में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं।
- ♦ प्रायोजकता और पालक देखरेख अनुमोदन समिति को यह अधिकार है कि वह बच्चे से संबंधित कागजात प्राप्त करें जिसमें घर और विद्यालय की जांच रिपोर्ट भी शामिल हो जो कि जिला बाल संरक्षण समिति/विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण एजेंसी के सामाजिक कार्यकर्ता या आउटरीच कार्यकर्ता द्वारा बनाई गई हो ताकि प्रायोजकता की जरूरत का निर्धारण किया जा सके।
- ♦ प्रायोजकता की सहायता की समयावधि के लिए अलग-अलग मामलों में प्रायोजकता और पालक देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा किंतु अपवाद की स्थिति को छोड़कर यह समयावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ♦ एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को प्रायोजकता की सहायता दी जा सकती है।
- ♦ बच्चे और परिवार का पर्यवेक्षण जिला बाल संरक्षण सोसाइटी द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें तीन माह में गृह और स्कूल भ्रमण भी शामिल है।
- ♦ सभी स्पॉन्सर किए गए बच्चों को औपचारिक विद्यालय में नियमित उपस्थित होना चाहिए, अगर बच्चा किसी विशेष अशक्तता या बीमारी के कारण स्कूल नहीं जा रहा है तो इसका सत्यापन जिला बाल संरक्षण सोसाइटी द्वारा किया जाना चाहिए।
- ♦ जिन परिवारों को प्रायोजकता के लिए धन दिया जा रहा है उन्हें परामर्श सहायता भी मिलनी चाहिए।
- ♦ अगर किसी भी समय बच्चे को संस्थागत देखरेख में भेजा जाएगा तो उसी समय से प्रायोजकता सहायता बंद हो जाएगी।
- ♦ अगर स्कूल जाने वाला बच्चा नियमित रूप से स्कूल नहीं जाता है तो प्रायोजकता सहायता तुरंत रोक दी जाएगी।
- ♦ केन्द्र/राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत जो परिवार नगद (Cash) सहायता प्राप्त कर रहे हैं वे इस योजना के हकदार नहीं हैं।

दत्तक-ग्रहण (Adoption)

जिला बाल संरक्षण इकाई और प्रशासन की भूमिका (Adoption Regulations 2017)

- ♦ जिले में अनाथ, परित्यक्त या त्यागे गए बच्चों को चिन्हित करना, जब भी आवश्यकता हो विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण एजेंसी और बाल देखरेख संस्थानों की मदद से, बाल कल्याण समिति द्वारा उन्हें दत्तक-ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त कराना।
- ♦ जो बच्चे दत्तक-ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त कर दिए गए हैं उनके आंकड़े तैयार करने में बाल कल्याण समिति को सहयोग देना।
- ♦ संभावित दत्तक माता-पिता का केन्द्रीयकृत (राज्य-विशेष) वेब पर आधारित डेटाबेस के रखरखाव में मदद करना।
- ♦ अनाथ या परित्यक्त बच्चे के बारे में विज्ञापित करना। जोखिम पर विचार करने तथा बच्चे के हित में, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई को अनाथ या परित्यक्त बच्चे के बारे में जानकारी और उसके चित्र को (बच्चे को प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के अंदर) अधिक प्रचलन वाले किसी राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापित करने तथा निर्धारित पोर्टल के खोए या पाए कॉलम में दर्ज करना, सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकती है।
- ♦ अगर बच्चे किसी दूसरे राज्य से है तो विज्ञापन या प्रकाशन वहां पर होना चाहिए जहां का बच्चा मूल रूप से रहने वाला है। प्रकाशन स्थानीय भाषा में कराया जाना चाहिए और इस कार्य में संबंधित विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (SARA) को सहायता देनी चाहिए।
- ♦ जब भी जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यशील नहीं हो तो यह विज्ञापन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाना चाहिए।
- ♦ सभी तरह के प्रयास से उप विनियमन 6 से 8 में अंकित है, के बावजूद अगर जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चे के जैविक माता-पिता या कानूनी अभिभावकों को नहीं खोज पाती है, तो बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के 30 दिनों के अंदर उसे इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए।



पश्चात्तर्वी देखरेख

- ♦ जिला बाल संरक्षण इकाई को ऐसे संस्थाओं, संस्थानों और व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो पश्चात्तर्वी देखरेख प्रदान करने में रुचि रखते हैं। इस सूची में उनके रुचि के क्षेत्र जैसे शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि को अंकित करके उसे किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और सभी बाल देखरेख संस्थानों को (रिकॉर्ड रखने के लिए) अग्रसारित करें।
- ♦ जिला बाल संरक्षण सोसाइटी ऐसी उपयुक्त स्वैच्छिक संस्थाओं को चिन्हित करें जो ऐसे पश्चात्तर्वी देखरेख कार्यक्रमों को संचालित कर सकें। इन संस्थानों को ऐसे बच्चों के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पश्चात्तर्वी देखरेख कार्यक्रम तैयार करें जो बाल संरक्षण (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमों के अनुसार हो। इसके अंतर्गत कुछ निम्न मुख्य बातें शामिल हो सकती हैं:
 - क) 6 से 8 नवयुवाओं के लिए सामुदायिक समूह आवास।
 - ख) व्यवसाय सीखने या रोजगार प्राप्त करके आवास भाड़ा और खर्च चलाने में योगदान देने के लिए प्रेरित करना।

- ग) धीरे-धीरे, बिना राज्य की सहायता के अपना खर्च वहन करना और अपनी आमदनी में से पर्याप्त बचत करके समूह आवास से निकलकर अपनी इच्छा के अनुसार चुने आवास में रहने की प्रेरणा देना।
- घ) सह उग्र परामर्शदाता (Peer Counsellor) का प्रावधान करना जो इन समूहों के संपर्क में नियमित रहकर उनकी पुनर्वास योजना पर चर्चा करें और उनकी उर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सृजनात्मक तरीके बताए तथा उनके जीवन के कठिन समय से उभरने में सहायता करें।
- ड.) व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान, जब तक रोजगार प्राप्त न हो, युवा को प्रशिक्षण वेतन (Stipend) देना।
- च) उद्यम स्थापित करने में रुचि रखने वाले युवाओं को ऋण मुहैया करवाना; किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा इस अधिनियम के तहत राज्य को नियमों के अनुसार निर्धारित प्रावधानों के लिए प्रत्येक जिला बाल संरक्षण सोसाइटी के पास पश्चात्तर्वर्ती देखरेख फण्ड होना चाहिए जिससे पश्चात्तर्वर्ती देखरेख कार्यक्रम चलाए जा सकें। बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार, जिला बाल संरक्षण सोसाइटी प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिमाह अधिकतम 2000 रु. तक की धनराशि, पश्चात्तर्वर्ती देखरेख कार्यक्रम चलाने वाले बाल देखरेख संस्थान को देगा। इस धनराशि में बच्चे की मूलभूत जरूरतें जैसे— भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य देखरेख और आवास, तथा जरूरत के अनुसार शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण; वजीफा एवं अन्य किसी जरूरत के खर्चे शामिल हैं।
- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के सशक्तिकरण के लिए भारतीय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत 'ECHO'³ की शुरुआत की गई। इस गतिविधि की संरचना किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन से बनती है। इसके द्वारा हजारों वंचित तथा अपराधी बच्चों को कानूनी सहायता तथा परामर्श देकर और उन्हें सरकारी अवलोकन गृहों, स्वागत केन्द्रों व बाल गृहों से मुक्त कराकर उनकी आवाज मुखर की। ECHO के बदलाव तथा पुनर्वास गृहों में बच्चों के स्थानांतरण की कानूनी प्रक्रिया की गई। यह केन्द्र बच्चों की देखरेख के साथ-साथ उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार और मुक्त किए गए बच्चों को 'फॉलोअप' की सेवाएं भी देता है। गैर सरकारी संस्थानों के एक सफल नेटवर्क के माध्यम से ECHO केन्द्र और राज्य स्तर पर संगठित प्रयास करता है ताकि बाल अधिकार से जुड़े कानूनों को लागू किया जाए।
 - देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और ECHO के सहयोग को दर्शाती एक फिल्म- <https://youtu.be/gCOBQITIG3o>



चरण 6: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) नियम 2020 के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई की क्या जिम्मेदारियां हैं?

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण नियम 2020 के तहत जिम्मेदारियां

1. प्रत्येक जिले में, डीसीपीयू अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दुभाषियों, अनुवादकों, विशेषज्ञों, विशेष शिक्षकों और सहायक व्यक्तियों के नाम, पते और अन्य सम्पर्क विवरणों का एक रजिस्टर रखेगा और एसजेपीयू, स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय को, आवश्यक होने पर, यह रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा।



³ <https://echoindia.org/about-us/>

2. दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति की सेवाओं के लिए भुगतान राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 105 के अधीन रखे गए निधियों या डीसीपीयू के पास रखे गए अन्य निधियों से किया जाएगा।
3. विशेष राहत के लिए, भोजन, कपड़ा, परिवहन और अन्य आकस्मिक आवश्यकता, यदि हो तो, सीडब्ल्यूसी उस स्थिति में अपेक्षित आंकलित रकम के तुरंत भुगतान के लिए राज्य द्वारा उनके निपटारे के लिए रखी गयी ऐसी निधि में से डीसीपीयू को शिफारिश कर सकती है।
4. विशेष न्यायालय द्वारा अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माने का रकम जिसे पीड़ित को भुगतान किया जाना है, वास्तव में बालक को ही भुगतान हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सीडब्ल्यूसी डीएलएसए के साथ समन्वय करेगा।
5. डीसीपीयू और मददगार व्यक्ति की सहायता से सीडब्ल्यूसी बैंक खाता खुलवाने की किसी भी प्रक्रिया के लिए पहचान की सबूत, आदि की सुविधा प्रदान करेगा।



जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व



चरण 1



गतिविधि: समूह कार्य

प्रतिभागियों को पांच समूह में बांट दें तथा नीचे दी गई सूची में से एक-एक श्रेणी के अधिकारियों की भूमिका और उत्तरदायित्वों की सूची तैयार करने का कार्य समूहों को दें। समूह कार्य के लिए के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित करें। समूह कार्य पूरा होने के बाद समूह अपने कार्य को बड़े समूह के सामने प्रस्तुत करेंगे। बाकी प्रतिभागियों को छोटे हुए बिन्दु जोड़ने के लिए प्रेरित करें। प्रत्येक प्रस्तुतीकरण के बाद नीचे दी गई तालिका के आधार पर समाहार करें:

पांच समूह




जिला बाल
संरक्षण अधिकारी



संरक्षण अधिकारी
(संस्थागत देखरेख)



संरक्षण अधिकारी
(गैर-संस्थागत
देखरेख)



विधि सह
परिवीक्षा अधिकारी



परामर्शदाता,
सामाजिक कार्यकर्ता
(आउटरीच देखरेख)

जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की विशिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व

(क) जिला बाल संरक्षण अधिकारी की विशिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व क्या हैं?

जिला बाल संरक्षण अधिकारी

- किशोर न्याय अधिनियम, किशोर न्याय रूल्स और समेकित बाल संरक्षण योजना का नोडल अधिकारी है।
- जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यों को सुनिश्चित करना तथा प्रबंधन करना।
- समेकित बाल संरक्षण योजना तथा अन्य बाल संरक्षण गतिविधियों का जिला स्तर पर पर्यवेक्षण तथा समन्वयन जिसमें जिले में प्रमुख विभागों के प्रमुखों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस आदि के साथ तालमेल बनाए रखना भी शामिल है।
- सभी संस्थाओं/संगठनों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गैर सरकारी संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना और राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- जिले स्तर पर गैर संस्थागत देखरेख कार्यक्रमों का समन्वयन करना और राज्य स्तर पर राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- वार्षिक जिला बाल संरक्षण योजना, बच्चे से जुड़ी सेवाओं की सूची और जिला स्तर पर बच्चे की ट्रेकिंग तंत्र विकसित तथा समन्वयन करना।

- ♦ जिले के प्रत्येक संस्थान के सह प्रबंधन समिति की अध्यक्षता करना और उपयुक्त संस्थानों को धन देने के लिए राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को संस्तुति भेजना।
- ♦ सभी हितधारकों के साथ मासिक बैठक करना जिसमें समुदाय, स्थानीय संगठन तथा मीडिया के प्रतिनिधि भी शामिल हों।

(ख) संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) की भूमिका और उत्तरदायित्व क्या हैं?

संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख)

- ♦ जिला बाल संरक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण में देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों से संबंधित बाल संरक्षण कार्यक्रमों तथा नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन जिले व स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करना।
- ♦ सभी देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए जिला स्तर पर, संस्थागत/आवासीय देखरेख सुनिश्चित करना।
- ♦ जोखिम वाले परिवारों तथा बच्चों की पहचान करना ताकि बच्चों की निःसहायता की रोकथाम की जा सके और उन्हें आउटरीच कार्यकर्ता की सहायता से आवश्यक सहायक सेवाएं जैसे परामर्श, सेवाओं तक पहुंच शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि सेवाएं उपलब्ध करायी जा सके।
- ♦ कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चे की स्थिति की समीक्षा करना, आंकड़ों को एकत्र करके संकलित करना कि बाल संरक्षण के विभिन्न आयामों में समस्या कहाँ है जैसे ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जिन्हें सहायता की जरूरत है, संस्थानों में कितने बच्चे हैं और उन्हें किस प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता है।
- ♦ एकत्रित आंकड़ों के आधार पर संसाधन मानचित्रण करना और एक जिला बाल संरक्षण योजना तथा बच्चों से जुड़ी सेवाओं की संसाधन सूची तैयार करना।
- ♦ जिले में खुले आवास सहित सभी संस्थागत देखरेख कार्यक्रमों के लिए बच्चों के ट्रैकिंग तंत्र को स्थापित तथा प्रबंधित करना।
- ♦ बच्चों की पुनः घर वापसी और जांच में बाल कल्याण समिति को सहयोग देना।
- ♦ किशोर न्याय अधिनियम के तहत सभी संस्थाओं/संस्थानों/एजेंसियों में जहां बच्चे रहते हैं, का पंजीकरण सुनिश्चित करना।
- ♦ सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे बाल देखरेख संस्थाओं/संस्थानों/एजेंसियों में जहां बच्चे रहते हैं, का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करना और देखरेख के न्यूनतम मानकों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- ♦ जिले स्तर पर चलाए जा रहे अन्य बाल संरक्षण कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करना।
- ♦ राज्य बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से सरकारी या गैर सरकारी व्यक्तियों, जो जिले स्तर पर संस्थागत देखरेख में शामिल हैं, के लिए प्रशिक्षण की जरूरतों को चिन्हित करना तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन करना।
- ♦ मासिक रिपोर्ट तैयार करके जिला बाल संरक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।





नोट: जिले की भौगोलिक प्रसार की स्थिति और बच्चों की संख्या के आधार पर प्रत्येक जिले में अधिकतम तीन बाल संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) होंगे। अगर बाल कल्याण समिति के पास बहुत अधिक मामले हों तो राज्य सरकार एक पूर्णकालिक (full time) संरक्षण अधिकारी को समिति में नियुक्त कर सकती है।

(ग) संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) की भूमिका और उत्तरदायित्व क्या हैं?

संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख)

- ◆ समेकित बाल संरक्षण योजना के गैर संस्थागत अंगों जैसे प्रायोजकता, पालक देखरेख, दत्तक-ग्रहण, पश्चात्तर्ती देखरेख और पालना बच्चा योजना का जिला बाल संरक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण में, प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- ◆ जोखिम वाले परिवारों तथा बच्चों की पहचान करना जिससे बच्चों की निःसहायता की रोकथाम की जा सके और जहां जरूरी हो उन्हें गैर संस्थागत देखरेख के लिए आवश्यक सहायता की जा सके।
- ◆ विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को सहयोग देना ताकि दत्तक बच्चों को चिन्हित करने तथा एक जिला स्तरीय डेटाबेस तैयार हो सके।
- ◆ विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण एजेंसी की सहायता से दत्तक-ग्रहण को सुगम बनाना तथा बढ़ावा देना।
- ◆ देश में दत्तक-ग्रहण के लिए दत्तक-ग्रहण योग्य बच्चों एवं संभावित दत्तक-ग्रहण करने वाले माताओं-पिताओं को डेटाबेस में पंजीकृत करना और इसका रखरखाव करना।
- ◆ जिले में देश के अंदर दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देना।
- ◆ दत्तक-ग्रहण के बाद दत्तक बच्चों का अनुश्रवण करना और यह सुनिश्चित करना कि विशेष दत्तक एजेंसी दत्तक-ग्रहण के बाद की सहायता तथा फॉलोअप प्रदान करें।



गैर संस्थागत देखरेख के अच्छे अभ्यासों का उदाहरण मिजोरम

मिजोरम में बाल मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना करके गैर संस्थागत बच्चों को घर वापसी और पुनर्वास सहायता देना।

मुद्रा/चुनौती: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए संस्थानों में निर्धारित सेवाएं हैं जो वह ले सकते हैं। यद्यपि गैर संस्थागत बच्चों को सेवाएं प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है।

अभिनव कदम: मिजोरम में राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी के अंतर्गत एक बाल मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित किया गया है। जो बच्चे देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद हैं और किसी नियमित कार्यक्रम द्वारा आच्छादित नहीं हैं, उन्हें इस केन्द्र में गैर संस्थागत सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह बाल मार्गदर्शन केन्द्र उपलब्ध कराता है:

- ◆ मनो सामाजिक और शैक्षिक विकार की जांच और प्रबंधन करना।
- ◆ नैदानिक शिक्षा, संज्ञानात्मक व्यावहारिक उपचार के लिए दिन में उपचार कार्यक्रम मुहैया कराना।
- ◆ व्यवहार में सुधार व्यावसायिक उपचार, सहायक समूह तथा परामर्श माता-पिता व शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन, परामर्श आदि देना।

- ♦ दुःख और सदमे की स्थिति में बच्चों और नवयुवकों को दुःख तथा सदमे से जुड़ी सेवाएं, जिसमें आत्म हत्या के शिकार व्यक्ति के हमउम्र और माता-पिता, अपराध के गवाह और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चे भी शामिल किए जाते हैं।

(घ) कानून एवं परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका और उत्तरदायित्वों का वर्णन करें

कानून एवं परिवीक्षा अधिकारी

- ♦ जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से जुड़े सभी कार्यक्रमों का समन्वयन तथा पर्यवेक्षण करना।
- ♦ जांच संपादित करने में जिले स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड को सहयोग देना।
- ♦ जिले में बच्चों के अपराधी बनने के सभी आयामों पर आंकड़े एकत्र करके संकलित करना।
- ♦ किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाहियों में नियमित उपस्थित रहना।
- ♦ सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना।
- ♦ केस फाईलों तथा अन्य रजिस्ट्रों का रखरखाव करना।
- ♦ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड से घर/उपयुक्त व्यक्ति/उपयुक्त सुविधा तक साथ लेकर जाना।
- ♦ पर्यवेक्षण में मुक्त किए गए या मुक्त किए गए बच्चों का फॉलोअप भ्रमण करना।
- ♦ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पुनर्वास और एकीकरण में सहयोग देने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित करना।
- ♦ जब भी आवश्यकता हो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों के कानूनी मामलों में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड को आवश्यक सहयोग देना।

कानून एवं परिवीक्षा अधिकारी की पृष्ठभूमि कानूनी होनी चाहिए और उसे बाल अधिकार तथा संरक्षण की अच्छी समझ होनी चाहिए। उसे बच्चों/किशोरों को निःशुल्क कानूनी सहायता देनी चाहिए।⁴ उसे जब भी आवश्यकता हो किशोर न्याय अधिनियम के तहत आने वाले सभी बच्चों को कानूनी मामलों में आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(ड.) परामर्शदाता की भूमिका को समझना



⁴ <http://cara.nic.in/PDF/revised%20ICPS%20scheme.pdf>

सामाजिक कार्यकर्ता

- ◆ प्रत्येक जिला बाल संरक्षण इकाई में दो सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए, जिनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। ये कार्यकर्ता जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निर्धारित अपने उप-सभाओं के क्लस्टर में क्षेत्र स्तरीय गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं।
- ◆ क्षेत्र स्तरीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को आउटरीच वर्कर मदद करेंगे।
- ◆ जब भी और जैसे भी आवश्यक होगा ये कार्यकर्ता विशेष किशोर पुलिस इकाई की मदद करेंगे।



आउटरीच कार्यकर्ता

- ◆ प्रत्येक जिला बाल संरक्षण इकाई में तीन आउटरीच कार्यकर्ता होंगे, जो संरक्षण अधिकारी और कानून एवं परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।
- ◆ प्रत्येक आउटरीच कार्यकर्ता अपने अधिकारी को उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के निर्वहन में सहयोग देगा।
- ◆ ये आउटरीच कार्यकर्ता समुदाय और जिला बाल संरक्षण इकाई के बीच में एक संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करेंगे तथा जोखिम वाले बच्चों व परिवारों की पहचान करना एवं उन्हें आवश्यक सहायक सेवाएं प्रदान करना इनकी जिम्मेदारी होगी।
- ◆ समुदाय/ब्लॉक स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत तथा स्थानीय निकायों के सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल एवं संपर्क विकसित करना भी इनकी जिम्मेदारी है।
- ◆ ब्लॉक तथा समुदाय स्तर पर, स्थानीय युवकों को स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें बाल संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना भी इनकी जिम्मेदारी है।





चरण 2

प्रतिभागियों से पूछें कि वे कौन-कौन से विभाग हैं जिनके साथ जिला बाल संरक्षण अधिकारी को समन्वय तथा तालमेल बनाने की आवश्यकता है?

उत्तरों को ध्यान से सुनें और नीचे दी गई तालिका के अनुसार समाहार करें:



जिला बाल संरक्षण अधिकारी इनसे भी समन्वय करते हैं:



जिले स्तर पर बाल संरक्षण कार्यक्रमों को प्रभावित करने वाले प्राधिकारी



स्वैच्छिक संगठन



बाल कल्याण समितियां



अस्पताल / नर्सिंग होम



किशोर न्याय बोर्ड



चाईल्ड लाईन सेवाएं



मुद्दे और चुनौतियां



चरण 1

प्रतिभागियों से इस बात पर चर्चा करें कि जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यों से संबंधित अनेक प्रशासनिक के साथ-साथ कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं। प्रतिभागियों को विचार मंथन करवाएं। प्रतिभागियों को बताएं कि यहां पर हम उनकी भूमिका और उत्तरदायित्वों से जुड़े तथा उन मुद्दों व चुनौतियों पर बात करेंगे जो सीधे बच्चे की खुशहाली से जुड़े हैं। (इस चर्चा में प्रशासनिक और संरचनात्मक मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी)



फैसिलिटेटर के लिए नोट: फैसिलिटेटर उन सभी मुद्दों को बोर्ड पर लिखेंगे जो प्रतिभागियों द्वारा बताए जाते हैं और उस पर चर्चा करेंगे।

निम्न कुछ व्यापक मुद्दे हो सकते हैं:

- ♦ कार्यान्वयन के स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना में उल्लिखित विभागों के साथ अभिसरण।
- ♦ बच्चे के समग्र विकास के लिए परिवारों को सशक्त बनाने के तरीकों/उपायों की कमी।
- ♦ राज्यों में विद्यमान संरचना तथा कार्यक्रमों की मुख्यधारा से समेकित बाल संरक्षण योजना को जोड़ने की आवश्यकता।
- ♦ भूमिका और उत्तरदायित्वों के साथ-साथ बच्चों को संभालने के तरीकों पर संबंधित व्यक्तियों का प्रशिक्षण।
- ♦ एकल विन्डो पद्धति का न दिखना।
- ♦ कानून का उल्लंघन करने वाले तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की संख्या कम करने के लिए अपर्याप्त सुरक्षा तंत्र।
- ♦ कार्यक्रम में नवाचार की कमी।

समूह कार्य


प्रतिभागियों को चार समूहों में बांट दें। उन्हें अपने समूह में इस बात पर चर्चा करने के लिए कहें कि देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की संख्या घटाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र बढ़ाने के क्या तरीके हैं। उन्हें इस बात पर भी चर्चा करने के लिए कहें कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अन्य योजनाओं को अपने राज्य में कैसे व्यापक बना सकते हैं जिससे कि देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की रोकथाम हो। प्रतिभागियों को अपने राज्य में किए गए अच्छे कार्यों, जिसे उन्होंने देखा या जाना है, को साझा करने के लिए प्रेरित करें। जब प्रतिभागी अपने चर्चा के बिन्दुओं को प्रस्तुत कर दें, उसके बाद फैसिलिटेटर नीचे दिए गए विभिन्न राज्यों के अभिनव उदाहरणों को साझा कर सकते हैं:

उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों में किए गए अभिनव कार्यों के उदाहरण:

1. नागालैण्ड: बच्चों के लिए आधार कैम्प

मुद्दा/चुनौती: पहचान होना मनुष्य का मौलिक अधिकार है क्योंकि यह व्यक्ति के समाज में रहने की घोषणा है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो बाल अधिकार (यू.एन.सी.आर.सी.) पर हुआ था आर्टिकल 7 कहता है “सभी बच्चों को कानूनी पंजीकृत नाम रखने का अधिकार है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। बच्चों को राष्ट्रीयता (किसी देश की) का अधिकार है।”


भारत में आधार कार्ड न केवल पहचान के लिए जरूरी है बल्कि किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। दुर्भाग्यवश बाल देखरेख संस्थानों में रहने वाले अधिकांश बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है जिसके कारण वे कई कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।



अभिनव कदम: नागालैण्ड में, जिला बाल संरक्षण इकाई ने जिला प्रशासन डीमापुर के सहयोग से एक आधार कैम्प का आयोजन किया। यह कैम्प डीमापुर जिले के सभी बाल देखरेख संस्थानों के लिए आयोजित किया गया था। इस कैम्प के माध्यम से आधार कार्ड के लिए 300 बच्चों का नामांकन किया गया।

2. मध्य प्रदेश: बाल देखरेख संस्थानों को उच्चीकृत करना (Upgradation) और बाल गृहों में पहले रह चुके बच्चों को वित्तीय सहायता देना

मुद्दा/चुनौती: देखरेख और संरक्षण की जरूरतमंद बच्चों के मामले में वे 18 वर्ष का होने तक ही बाल देखरेख संस्थानों में रह सकते हैं। इस उम्र के बाद राज्य यह अपेक्षा रखता है कि वे स्वावलम्बी हो जाएंगे। यह बच्चे संस्थानों से निकल कर स्वावलम्बी हो जाएं और उनका एकीकरण समुदाय में हो सके, इसमें भी राज्य को भूमिका निभाने की आवश्यकता है।



अभिनव कदम: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना केन्द्र से वित्तपोषित देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना के अनुपूरण का कार्य करती है। इस योजना के तरह बाल देखरेख संस्थानों को उच्चीकृत किया गया है ताकि वे देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहायता व योगदान दे सकें। इसके साथ ही साथ बाल देखरेख संस्थानों को प्रति बच्चे के लिए 20,000 रुपये (बीस हजार) की सहायता राशि दी जाती है ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें।

3. मिजोरम: संबंधित विभागों/गैर सरकारी संस्थानों के साथ अभिसरण

मुद्दा/चुनौती: राज्य सरकारों ने कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की खुशहाली के लिए अनेक प्रावधान बनाए हैं, किन्तु संबंधित सेवा प्रदान करने वालों में इनसे जुड़े उपलब्ध माध्यमों और संसाधनों के बारे में जानकारी की कमी है। किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों जैसे जिला बाल संरक्षण इकाई [रूल 85 (xxi)], राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी [रूल 84 (xvi)], पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी [रूल 65 (xi)], विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेंसी की स्टीयरिंग कमेटी [रूल 50 (4 (iv))], इसके साथ ही साथ किशोर न्याय फंड जो अन्य गतिविधियों के साथ-साथ जागरूकता फैलाने के लिए है, के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मुख्य भूमिका प्रशासन की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) का भी मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने का आदेश है। विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न प्राधिकारियों में जागरूकता लाने की जिम्मेदारी को पूरा करने में राज्य सरकारों को चुनौती का सामना करना पड़ेगा।




अभिनव कदम: मिजोरम की सरकार ने, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (SCERT), ऐसे ही अन्य संस्थान जैसे नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैण्डिकेप्ड (HIOH), जिला तंबाकू नियंत्रण समिति आदि के साथ अभिसरण के लिए कदम उठाए और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने प्रशिक्षण सत्रों में बच्चों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करें तथा समेकित बाल संरक्षण योजना के कर्मचारियों को संसाधन व्यक्ति के रूप में नियंत्रित करें। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन, किशोर न्याय अधिनियम, समेकित बाल संरक्षण योजना, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पी.ओ.सी.एस.ओ.), बाल श्रम, बाल विवाह आदि पर व्याख्यान तथा साहित्य शामिल हैं।

4. ओडिशा: संसाधन बढ़ाना और अभिसरण

मुद्दा/चुनौती: अधिक वंचित बच्चों वाले राज्यों में फंड प्राप्त करना हमेशा एक मुद्दा रहता है। दूसरा मुद्दा है जो बच्चों को समय से सहायता प्राप्त करने में बाधक है, वह है विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों, जो बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हैं, में अभिसरण की कमी।

अभिनव कदम: ओडिशा में उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा जिला बाल संरक्षण इकाई ने आपस में तालमेल बनाया और अपने कार्यालय एक ही इमारत में स्थापित किए हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने सभी भौतिक संसाधनों (प्रतीक्षा कक्ष, बैठक का स्थान, गाड़ियां आदि) को एकजुट किया। यह केवल बेहतर तालमेल और अभिसरण के कारण ही सम्भव हो पाया, जिसका नतीजा बेहतर कार्य निष्पादन, संस्थागत समन्वय के साथ-साथ वित्तीय भार के समाधान के रूप में निकला।



मिजोरम में विद्यालय की नियुक्ति में लैंगिक दुर्व्यवहार का समाधान करना तथा नोडल शिक्षक का क्षमता विकास


मुद्दा/चुनौती: अनेक बच्चे जिनके साथ स्कूल में या स्कूल के बाहर यौन दुर्व्यवहार या शोषण हो रहा है। वे कभी-कभी यह निर्णय नहीं कर पाते कि इसके बारे में शिकायत की जाए या नहीं। यद्यपि कुछ मामलों में, बच्चों के व्यवहार में विशेष बदलावों को देखने में शिक्षक/शिक्षिका कामयाब हुए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि ऐसी स्थिति में कैसे सहायता की जाए। ऐसे मामलों को सुलझाने का विरोध विद्यालय प्रशासन भी कर सकता है।

अभिनव कदम: इन मुद्दों के समाधान के लिए कुछ जिलों की जिला बाल संरक्षण समितियों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों (जो कि जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्य भी हैं) के समन्वय से बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रत्येक स्कूल में नोडल शिक्षक नियुक्त किए गए। जिला स्तर पर शिक्षकों को चिन्हित किया गया और बच्चों से संबंधित मुद्दों जैसे किशोर न्याय अधिनियम, समेकित बाल संरक्षण योजना, बाल मनोविज्ञान आदि पर प्रशिक्षित किया गया।

नोडल टीचर की भूमिका निश्चित की गई है कि उन्हें ऐसे बच्चों की पहचान करनी है जिनके साथ दुर्व्यवहार या शोषण हो रहा है ताकि बच्चे के संरक्षण के लिए मामले की रिपोर्ट की जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं। नोडल शिक्षकों से यह भी अपेक्षा की जा रही है कि वे बच्चों पर इस बात का ध्यान रखें कि उनमें ऐसे कोई लक्षण तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो उत्पीड़न, शोषण या हिंसा का संकेत देते हों।

मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रस्तावित तंत्र

दाहिने तरफ हर स्तर के हितधारक हैं और बायीं तरफ वह पद्धति है जिसके द्वारा चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।



अभ्यास: समूहों के केस स्टडी के माध्यम से सीखों को दोहराना



समय
60 मिनट

चरण 1

प्रतिभागियों को चार समूहों में बांट दें। प्रत्येक समूह को एक केस स्टडी दें। केस स्टडी में दी हुई स्थिति और अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति के बारे में चर्चा करने के लिए प्रतिभागियों को 10 मिनट का समय दें। समूह कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रत्येक समूह अपना प्रस्तुतीकरण बड़े समूह के समक्ष करना।


केस स्टडी-1



एक मां ने अस्पताल में जुड़वां लड़कियों को जन्म दिया। पिता ने अस्पताल के सारे खर्चों का भुगतान 90 हजार कर दिया। माता-पिता का आपराधिक इतिहास था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। पुलिस उनकी फिराक में थी। पुलिस और उधारी वाले लोगों से बचने के लिए दम्पति अस्पताल से भाग खड़े हुए और दोनों बच्चियों को उन्होंने अस्पताल में छोड़ दिया। अब उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अस्पताल में फर्जी कागजात जमा किए थे, इसलिए उनका कोई सही पता नहीं था। अस्पताल बच्चियों की देखभाल कर रहा था क्योंकि अस्पताल की फीस जमा कर दी गई थी। अस्पताल का एक डॉक्टर मानवीय आधार पर बच्चियों की देखभाल करने के लिए तैयार था। यद्यपि बाल संरक्षण इकाई ने आवश्यक कानूनी कागजी कार्यवाही करके विशेषीकृत दत्तक-ग्रहण एजेंसी के संरक्षण में बच्चियों को दे दिया। वे अब सुरक्षित हैं और अगर उनके जैविक माता-पिता निर्धारित समय में नहीं आते तो उन्हें दत्तक लेने वाले दम्पति को दे दिया जाएगा।

चर्चा के बिन्दु: दत्तक-ग्रहण के लिए बच्चियों कानूनी रूप से मुक्त कराने के लिए बाल संरक्षण इकाई को क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए?

केस स्टडी-2



‘र’ एक 8 वर्षीय विकलांग बच्ची है जो गुजरात के एक छोटे से शहर में रहती है। एक बार वह अपने माता-पिता के साथ शहर में एक प्रसिद्ध मंदिर में घूमने के लिए गई। मंदिर पहुंचने के बाद उसके पिता ने कहा कि चूंकि वह मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगी इसलिए वह मंदिर की निचली सीढ़ी पर बैठे और वे मंदिर में दर्शन करके जल्दी ही लौट आएंगे। जब बहुत समय तक उसके माता-पिता वापस नहीं आए तो उसने रोना शुरू कर दिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी का ध्यान उसकी तरफ गया और उसने उसके माता-पिता को ढूंढने की काफी प्रयास किया। जब उसके माता-पिता नहीं मिले तब ‘र’ को संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष भेज दिया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई ने समाचार पत्र के विज्ञापन देकर उसके माता-पिता को खोजने का प्रयास किया लेकिन कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। ‘र’ के मामले में उसे दत्तक के लिए कानूनी रूप से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। आज वह अपने दत्तक परिवार के साथ खुशीपूर्वक रहती है।

चर्चा के बिन्दु: ‘र’ को कानूनी रूप से दत्तक-ग्रहण के लिए मुक्त करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई को क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए?

केस स्टडी-3



गुजरात के एक छोटे से कस्बे में चार सदस्यों वाला एक गरीब परिवार रहता था। जब माता-पिता और बड़ा भाई पूरे दिन काम करने चले जाते थे, तब छोटा बच्चा 'र' घर पर अकेले रह जाता था। 'र' बुरी सोहबत में पड़ गया और बेहतर जीवन शैली के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह एक कीमती घड़ी के चोरी करने के प्रयास में पकड़ा गया और पुलिस को सौंप दिया गया।

चर्चा के बिन्दु: 'र' के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?

केस स्टडी-4



'क' एक 14 वर्ष का बच्चा है जो एक शिक्षित परिवार से है और बड़े शहर में रहता है। उसके पिता एक सफल व्यवसायी हैं और उसकी मां एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। प्रतिदिन 'क' के माता-पिता देर रात में घर लौटते हैं और स्कूल से आने के बाद 'क' अकेला रह जाता है। प्रतिदिन वह पड़ोस के धनी परिवारों के दोस्तों के साथ अपना समय बिताता है। कुछ महीनों से उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है और अब वह इसका आदी हो गया है। उसकी ड्रग्स की आवश्यकता की पूर्ति माता-पिता द्वारा दी गई पॉकेट मनी से पूरी नहीं होती। उसने अंततः चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह पकड़ा गया और पुलिस ने उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया।

चर्चा के बिन्दु: इस मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए?

केस स्टडी-5



एक 10 वर्ष का बच्चा एक ईट-भट्टे से पुलिस द्वारा मुक्त कराया गया और पुलिस ने इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी। चिकित्सीय जांच कराने के बाद यह पाया गया कि हानिकारक स्थिति में कठिन परिश्रम करने के कारण बच्चे का स्वास्थ्य दुष्प्रभावित हुआ है। इसके बाद बच्चे को एक खुले आवास में भेजा गया जहां जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्शदाता ने उसे परामर्श दिया। बच्चे के माता-पिता को खोज लिया गया किन्तु आर्थिक बोझ के कारण वे बच्चे को अपने साथ ले जाने के इच्छुक नहीं थे।

चर्चा के बिन्दु: इस मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए?

केस स्टडी 5 में क्या प्रक्रिया अपनाई गई: फैसिलिटेटर द्वारा समाहार किया जाएगा

एक 10 वर्ष का बच्चा एक ईट-भट्ठे से पुलिस द्वारा मुक्त कराया गया और पुलिस ने इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी। चिकित्सीय जांच कराने पर यह पाया गया कि हानिकारक स्थिति में कठिन परिश्रम करने के कारण बच्चे का स्वास्थ्य दुष्प्रभावित हुआ है इसलिए बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उसे चिकित्सीय सहायता तथा आवश्यक दवाईयां दी गई। इसके बाद बच्चे को खुले आवास में भेज दिया गया। जहां जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्शदाता ने उसे परामर्श दिया। माता-पिता की खोज की गई और उन्हें भी घर वापस ले जाने के लिए परामर्श दिया गया। बच्चे और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई ने प्रायोजकता तथा पालक देखरेख अनुमोदन समिति के पास बच्चे और माता-पिता के संयुक्त खाते में प्रायोजकता के लिए प्रस्ताव भेजा। प्रायोजकता की शर्तें निर्धारित की गई और माता-पिता को बताई गई। इसके अतिरिक्त जिला बाल संरक्षण इकाई ने सामाजिक कार्यकर्ता को बच्चे की स्थिति का सामाजिक अनुश्रवण करने का आदेश दिया। इसके साथ ही साथ ईट-भट्ठा के मालिक पर एक केस दर्ज कराया गया, जिसकी पैरवी जिला बाल संरक्षण इकाई के विधि सह संरक्षण अधिकारी (एल.पी.ओ.) ने किया। अंततः जिला बाल संरक्षण इकाई की सफलता मिली और ईट-भट्ठा मालिक को हर्जाना देना पड़ा तथा इस पैसे को भी संयुक्त खाते में ही जमा कराया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने केस की समीक्षा की और जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा उठाए गए कदमों पर संतुष्टि जाहिर की और सामाजिक कार्यकर्ता को फॉलोअप भेंटों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अतिरिक्त पाठ्य सामग्री और संदर्भ:

https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2015/10/Best_Practices_in_Child_Protection_2013.pdf

<http://haqcrc.org/wp-content/uploads/2017/03/juvenile-justice-documenting-good-practices-haq.pdf>

<https://www.cplibrary.in/uploads/Publication/Final%20JJ%20Handbook.pdf>

<https://www.soschildrensvillages.in/getmedia/90a71a91-c933-4552-b4fc-8ef5f042d5eb/ALTERNATIVE-CARE-FOR-CHILDREN-18-december.pdf>

<https://www.cplibrary.in/uploads/Manuals/dcpu.pdf>

